



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13092022-238770
CG-DL-E-13092022-238770

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 448]
No. 448]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 13, 2022/भाद्र 22, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 13, 2022/BHADRA 22, 1944

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2022

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (तीसरा संशोधन)
विनियम, 2022

सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.091.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (अअ) एवं खंड (न) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 'मूल विनियम' कहा गया है) में, "अनुसूची" शब्द के स्थान पर, जहां-जहां वह आता है, "अनुसूची-1" शब्द और चिह्न रखा जाएगा।

3. मूल विनियमों में, विनियम 34क के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“34ख. अंतरिम समाधान व्यावसायिक और समाधान व्यावसायिक को संदत्त की जाने वाली फीस

(1) विनियम 33 और 34 के तहत, अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक की फीस, इस विनियम के अनुसार आवेदक या समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(2) 1 अक्टूबर, 2022 को या उसके पश्चात् नियुक्त किए गए अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक की फीस, अनुसूची-II के खंड 2 में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए खंड 1 में विनिर्दिष्ट फीस से कम नहीं होगी:

परन्तु आवेदक या समिति, उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं, बाजार के कारणों, जैसे कारपोरेट ऋणी के कारबार प्रचालनों के आकार और पैमाने, उस कारबार क्षेत्र को, जिसमें कारपोरेट ऋणी प्रचालन करता है, कारपोरेट ऋणी की आर्थिक गतिविधि का प्रचालन स्तर, कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया से संबंधित जटिलताओं को विचार में रखते हुए फीस की विनिर्दिष्ट रकम से उच्चतर रकम नियत कर सकेगी।

(3) अनुसूची II के खंड 2 में उल्लिखित अवधि की समाप्ति के पश्चात्, अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक की फीस आवेदक या समिति, जैसा भी मामला हो, द्वारा तय की जाएगी।

(4) 1 अक्टूबर, 2022 को या उसके पश्चात् समिति द्वारा अनुमोदित समाधान योजना के लिए, समिति अपने विवेकानुसार कार्य-निष्पादन आधारित प्रोत्साहन फीस का भुगतान करने का निर्णय अनुसूची-II के खंड 3 और खंड 4 के अनुसार ले सकती है या यथाआवश्यक तरीके से कोई और कार्य-निष्पादन आधारित प्रोत्साहन संरचना लागू कर सकती है, बशर्ते यह फीस पांच करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।

(5) इस विनियम के तहत फीस का भुगतान कारपोरेट देनदार के पास उपलब्ध निधि से, आवेदक या समिति के सदस्यों के योगदान से और/या अंतरिम वित्त के माध्यम से एकत्र करके किया जा सकता है और इसे दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत में शामिल किया जाएगा।”

4. मूल विनियमों में, अनुसूची-I के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“अनुसूची-II

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियम 34ख के अधीन]

न्यूनतम नियत फीस

1. अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक, जैसा भी मामला हो, को खंड 2 में उल्लिखित अवधि के लिए नीचे दी गई सारणी-1 के अनुसार न्यूनतम नियत फीस संदत्त की जाएगी:

सारणी-1: न्यूनतम नियत फीस ढांचा

स्वीकृत दावों का परिमाण	न्यूनतम प्रति मास फीस (लाख रुपयों में)
(i) 50 करोड़ रूपए से कम या उसके बराबर	1.00
(ii) 50 करोड़ रूपए से अधिक लेकिन 500 करोड़ रूपए से कम या उसके बराबर	2.00
(iii) 500 करोड़ रूपए से अधिक लेकिन 2,500 करोड़ रूपए से कम या उसके बराबर	3.00
(iv) 2,500 करोड़ रूपए से अधिक लेकिन 10,000 करोड़ रूपए से कम या उसके बराबर	4.00
(v) 10,000 करोड़ रूपए से अधिक	5.00

न्यूनतम नियत फीस की अवधि

2. न्यूनतम नियत फीस, यथास्थिति, अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक के रूप में नियुक्ति करने से -

- (क) धारा 30 के अधीन समाधान योजना के अनुमोदन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने;
- (ख) धारा 33 के अधीन कारपोरेट ऋणी का समापन करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने;
- (ग) धारा 12क के अधीन प्रत्याहरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने; या
- (घ) कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया को बन्द करने का आदेश होने;

के समय तक की अवधि के लिए, इन में से जो भी पूर्वतर हो, लागू होगी।

समयबद्ध समाधान के लिए कार्य-निष्पादन आधारित प्रोत्साहन फीस

3. ऐसे मामलों में, जहां समाधान योजना न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को दिवाला प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख से सारणी-2 में दी गई समयावधि के भीतर प्रस्तुत की जाती है वहां समाधान व्यावसायिक को, समाधान आवेदक द्वारा लेनदारों को भुगतान शुरू होने के पश्चात और न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा ऐसी समाधान योजना के अनुमोदन के पश्चात् सारणी-2 के अनुसार कार्य-निष्पादन आधारित प्रोत्साहन फीस संदत्त की जा सकेगी।

सारणी-2: समयबद्ध समाधान के लिए कार्य-निष्पादन आधारित प्रोत्साहन फीस

दिवाला समाधान प्रक्रिया की तारीख से समय	वसूलनीय मूल्य के प्रतिशत के रूप में फीस
(i) 165 दिन से कम या उसके बराबर	1.00
(ii) 165 दिन से अधिकलेकिन 270 दिन से कम या उसके बराबर	0.75
(iii) 270 दिन से अधिक लेकिन 330 दिन से कम या उसके बराबर	0.50
(iv) 330 दिन से अधिक	0.00

अधिकतम मूल्यांकन के लिए कार्य-निष्पादन आधारित प्रोत्साहन फीस

4. समाधान व्यावसायिक को, अधिकतम मूल्यांकन के लिए कार्य-निष्पादन आधारित प्रोत्साहन फीस का संदाय, समाधान आवेदक द्वारा लेनदारों को भुगतान शुरू होने के पश्चात और न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा समाधान योजना का अनुमोदन कर दिए जाने के पश्चात् उस रकम के एक प्रतिशत की दर पर किया जा सकेगा, जितना वसूलनीय मूल्य समापन मूल्य से उच्चतर है।

स्पष्टीकरण: खंड 3 और खंड 4 के प्रयोजनों के लिए, 'वसूलनीय मूल्य' से धारा 31 के अधीन अनुमोदित समाधान योजना में लेनदारों को संदेय रकम अभिप्रेत है।

दृष्टांत -

किसी ऐसे कारपोरेट ऋणी का, जिसका समापन मूल्य बीस करोड़ रूपए है, समाधान किया गया था और लेनदारों का वसूलनीय मूल्य एक सौ करोड़ रूपए था। न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को समाधान योजना दिवाला प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख से 170वें दिन प्रस्तुत की गई थी। समिति ने खंड 3 और 4 के अधीन कार्य-निष्पादन आधारित प्रोत्साहन फीस का संदाय करने का विनिश्चय किया है।

इस मामले में, समाधान व्यावसायिक को संदेय फीस निम्न प्रकार होगी:

- (i) समयबद्ध समाधान के लिए कार्य-निष्पादन आधारित प्रोत्साहन फीस: 100 करोड़ का 0.75 प्रतिशत = 75 लाख रूपए; और
- (ii) अधिकतम मूल्यांकन के लिए कार्य-निष्पादन आधारित प्रोत्साहन फीस: 80 करोड़ रूपए(100 करोड़ रूपए – 20 करोड़ रूपए) का 1.00 प्रतिशत= 80 लाख रूपए।"

रवि मित्तल, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./272/2022-23]

टिप्पण : भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 4 सं. 432, तारीख 30 नवम्बर, 2016 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.004, तारीख 30 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 302, तारीख 14 जून, 2022 में, अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.084, तारीख 14 जून, 2022 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022 द्वारा किया गया था।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th September, 2022

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Third Amendment) Regulations, 2022

No. IBBI/2022-23/GN/REG091.- In exercise of the powers conferred by clauses (aa) and (t) of sub-section (1) of section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations further to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016, namely: -

1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Third Amendment) Regulations, 2022.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 (hereinafter referred to as ‘the principal regulations’), the word “Schedule” shall be substituted with the word and mark “Schedule-I”, wherever it is appearing.
3. In the principal regulations, after regulation 34A, the following regulations shall be inserted, namely:-

“34B. Fee to be paid to interim resolution professional and resolution professional.

- (1) The fee of interim resolution professional or resolution professional, under regulation 33 and 34, shall be decided by the applicant or committee in accordance with this regulation.
- (2) The fee of the interim resolution professional or the resolution professional, appointed on or after 1st October 2022, shall not be less than the fee specified in clause 1 for the period specified in clause 2 of Schedule-II:

Provided that the applicant or the committee may decide to fix higher amount of fee for the reasons to be recorded, taking into consideration market factors such as size and scale of business operations of corporate debtor, business sector in which corporate debtor operates, level of operating economic activity of corporate debtor and complexity related to process.

- (3) After the expiry of period mentioned in clause 2 of Schedule-II, the fee of the interim resolution professional or resolution professional shall be as decided by the applicant or committee, as the case may be.
- (4) For the resolution plan approved by the committee on or after 1st October 2022, the committee may decide, in its discretion, to pay performance-linked incentive fee, not exceeding five crore rupees, in accordance with clause 3 and clause 4 of Schedule-II or may extend any other performance-linked incentive structure as it deems necessary.
- (5) The fee under this regulation may be paid from the funds, available with the corporate debtor, contributed by the applicant or members of the committee and/or raised by way of interim finance and shall be included in the insolvency resolution process cost.”

4. In the principal regulations, after Schedule-I, the following shall be inserted, namely: -

“Schedule-II

(Under Regulation 34B of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

Minimum Fixed Fee.

1. Minimum fixed fee as per the table -1 below shall be paid to the interim resolution professional or the resolution professional, as the case may be, for the period mentioned in clause 2:

Table-1: Minimum Fixed Fee Structure

Quantum of Claims Admitted	Minimum Fee Per Month (Rs. lakh)
(i) Less than or equal to Rs. 50 crore	1.00
(ii) More than Rs.50 crore but less than or equal to Rs.500 crore	2.00
(iii) More than Rs.500 crore but less than or equal to Rs.2,500 crore	3.00
(iv) More than Rs.2,500 crore but less than or equal to Rs.10,000 crore	4.00
(v) More than Rs.10,000 crore	5.00

Period for minimum fixed fee.

2. The minimum fixed fee shall be applicable for the period, from appointment as interim resolution professional or resolution professional, till the time of –

- (a) submission of application for approval of resolution plan under section 30;
- (b) submission of application to liquidate the corporate debtor under section 33;
- (c) submission of application for withdrawal under section 12A; or
- (d) order for closure of corporate insolvency resolution process;

whichever is earlier.

Performance-linked incentive fee for timely resolution.

3. In cases where resolution plan is submitted to the Adjudicating Authority within the time period given in table-2 from the insolvency commencement date, performance-linked incentive fee as per table-2 may be paid to the resolution professional, after approval of such resolution plan by the Adjudicating Authority on commencement of payment to creditors by the resolution applicant.

Table-2: Performance-linked incentive fee for timely resolution

Time period from insolvency commencement date	Fee as % of Realisable Value
(i) Less than or equal to 165 days	1.00
(ii) More than 165 days but less than or equal to 270 days	0.75
(iii) More than 270 days but less than or equal to 330 days	0.50
(iv) More than 330 days	0.00

Performance-linked incentive fee for value maximisation.

4. The performance-linked incentive fee for value maximisation may be paid to the resolution professional at the rate of one per cent of the amount by which the realisable value is higher than the liquidation value, after approval of the resolution plan by Adjudicating Authority on commencement of payment to creditors by the resolution applicant.

Explanation: For the purposes of clause 3 and clause 4, “realisable value” means the amount payable to creditors in the resolution plan approved under section 31.

Illustration -

A corporate debtor having liquidation value of twenty crore rupees was resolved and the realisable value to creditors was one hundred crore rupees. The resolution plan was submitted to the Adjudicating Authority on 170th day from the insolvency commencement date. The committee has decided to pay the performance-linked incentive fees under clause 3 and 4.

In this case, fee payable to the resolution professional shall be as under:

- (i) Performance-linked incentive fee for timely resolution: 0.75% of Rs. 100 crore = Rs.75 lakh, and
- (ii) Performance-linked incentive fee for value maximisation: 1.00% of Rs. 80 crore (Rs.100 crore – Rs.20 crore) = Rs.80 lakh.”

RAVI MITAL, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./272/2022-23]

Note : The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 were published vide notification No. IBBI/2016-17/GN/REG004, dated 30th November, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 432 on 30th November, 2016 and were last amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Second Amendment) Regulations, 2022 published vide notification No. IBBI/2022-23/GN/REG084, dated the 14th June 2022 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 302 on 14th June, 2022.